यानिक सिनर ने जीरी लेहेका को हराकर जीता खिताब, रचा 'सनशाइन डबल' का इतिहास

जगत क्रान्ति ⏭ मियामी, (हि.स.)

मियामी ओपन के बारिश से प्रभावित फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने रविवार रात चेक गणराज्य के जीरी लेहेका को 6-4, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ सिनर बिना एक भी सेट गंवाए 'सनशाइन डबल' पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। विश्व नंबर दो सिनर ने मुकाबले में अपने पहले सर्विस पर 92 प्रतिशत अंक जीते और पूरे मैच के दौरान मिले तीनों ब्रेक प्वाइंट बचाए। इस जीत के साथ उन्होंने मास्टर्स 1000 मुकाबलों में बिना सेट गंवाए अपनी जीत की श्रृंखला को 17 तक पहुंचा दिया।

मुकाबले के बाद सिनर ने कहा, हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। अब घर लौटने को लेकर भी उत्साहित हूं। पहली बार सनशाइन डबल हासिल करना मेरे लिए अविश्वसनीय है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव हो पाएगा।

बारिश के कारण मुकाबला लगभग 90 मिनट देर से शुरू हुआ। इसके बावजूद सिनर ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले सेट में जल्दी 3-1 की बढ़त बनाई और मजबूत सर्विस के दम पर सेट अपने नाम किया।

दूसरे सेट की शुरुआत में फिर बारिश के चलते खेल रोकना पड़ा, लेकिन वापसी के बाद सिनर ने अपना दबदबा कायम रखा। लेहेका, जो अपने करियर का पहला मास्टर्स 1000 फाइनल खेल रहे थे, ने दूसरे सेट में कड़ा मुकाबला दिया। उन्होंने कई ब्रेक प्वाइंट बचाए और एक समय 4-3 की बढ़त भी बना ली, लेकिन सिनर ने निर्णायक क्षणों में बेहतर खेल दिखाते हुए वापसी की। सिनर ने दूसरे सेट में अपने छठे ब्रेक प्वाइंट पर सफलता हासिल कर 5-4 की बढ़त बनाई और फिर अपनी सर्विस पर मैच जीत लिया।

गौरतलब है कि सिनर 2017 में रोजर फेडरर के बाद पहले खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने इंडियन वेल्स और मियामी ओपन खिताब लगातार जीते हैं। इस उपलब्धि को 'सनशाइन डबल' कहा जाता है। इस खास उपलब्धि के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच, आंद्रे आगासी, पीट सैम्प्रास, माइकल चांग और जिम कूरियर जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

एक को पापा चुन ले, हरभजन सिंह का फूटा गुस्सा, ट्रोल्स को दिया जवाब

नई दिल्ली : आईपीएल 2026 के शुरू होते ही मैदान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म हो गया है। इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हिंदी कमेंट्री को लेकर हो रही आलोचना के बीच हरभजन कुछ यूजर्स से भिड़ गए, जिसके बाद पूरा मामला वायरल हो गया। दरअसल, एक यूजर ने हरभजन सिंह, विरेंद्र सहवाग और आकाश चौपड़ा की कमेंट्री करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जोकर कह दिया। इस पर हरभजन ने तीखे लेकिन मजाकिया अंदाज़ में जवाब देते हुए लिखा, इनमें से एक को पापा चुन ले। उनका यह रिप्लाई देखते ही देखते वायरल हो गया और फैंस के बीच बहस छिड़ गई। यही नहीं, एक अन्य यूजर द्वारा अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर हरभजन ने कहावत के जरिए पलटवार किया- हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, और साथ ही यूजर को वहां से जाने की नसीहत दे डाली।

फिडे कैंडिडेट्स 2026 : पहले दौर में आर. प्रज्ञानानंद की शानदार जीत, दिव्या और वैशाली ने खेल बराबरी पर छोड़ा

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

फिडे कैंडिडेट्स 2026 के पहले दौर में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को उच्च वरीयता प्राप्त अनीश गिरी को पराजित कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। प्रज्ञानानंद ने मुकाबले को अंतिम चरण तक खींचते हुए गिरी पर लगातार दबाव बनाए रखा। लगभग 40 चालों के बाद भारतीय खिलाड़ी ने एक प्यादा बढ़त के साथ निर्णायक बढ़त बना ली, जिससे गिरी की वापसी की संभावना समाप्त हो गई। दिन के सबसे चर्चित मुकाबले में अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने हमवतन हिकारू नाकामुरा को रोमांचक और लंबे मुकाबले में मात दी। यह पहला दौर का सबसे लंबा खेल रहा। अन्य मुकाबलों में उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंदारोव ने रूस के आंद्रेई एसिपेंको को हराया, जबकि जर्मनी के मैथियास ब्लूबाम और चीन के वेई यी के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। महिला वर्ग में भारत की युवा ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने शुरुआती चरण में आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन यूक्रेन की अन्ना मुज़िचुक ने संयम बनाए रखते हुए मुकाबले को बराबरी पर समाप्त किया। उन्होंने समय रहते मोहरों की अदला-बदली कर स्थिति को संतुलित कर दिया। एक अन्य मुकाबले में आर. वैशाली ने कजाखस्तान की बिबीसारा असाउबायेवा के खिलाफ सतर्क रणनीति अपनाते हुए मुकाबला बराबरी पर छोड़ा। मध्य चरण में वैशाली दबाव में दिखीं और समय भी कम था, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में सटीक चाल चलकर खेल को अतिरिक्त समय तक पहुंचाया और अंततः परिणाम बराबरी रहा। चीन की झू जिनर और तान झोंगयी के बीच मुकाबला उतार-चढ़ाव भरा रहा और अंत में बराबरी पर समाप्त हुआ।

एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप 2026 के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित

जगत क्रान्ति ⏭ नई दिल्ली, (हि.स.)

भारतीय अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जोआकिम एलेक्जेंडर्सन ने एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप थाईलैंड 2026 के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत ने 20 साल बाद इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल को जापान के खिलाफ मैच से करेगी। इसके बाद भारतीय टीम 5 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया और 8 अप्रैल को चीनी ताइपे से भिड़ेगी।

ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और तीनों ग्रुप्स में से सर्वश्रेष्ठ दो तीसरे स्थान की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। क्वार्टर फाइनल जीतने वाली चार टीमें फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप पोलैंड 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। एएफसी अंडर-20 महिला एशियन कप थाईलैंड 2026 का लाइव प्रसारण फ़ैनकोड पर किया जाएगा।

'यंग टाइग्रेस' 20 मार्च को बैंकॉक पहुंची थीं और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए 13 दिन मिले। कुल 24 खिलाड़ियों का दल यात्रा पर गया था, जिसमें से डिफेंडर अल्का इंदवार को अंतिम 23 सदस्यीय टीम तय करते हुए रिलीज कर दिया गया। भारत ने जनवरी में बेंगलुरु में इंडियन वुमेंस लीग (आईडब्ल्यूएल) के पहले चरण के बाद अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू किया था। इसके बाद टीम ने स्वीडन में एक महीने का कैंप किया, जहां उन्होंने क्लब टीमों के सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ पांच फ्रेंडली मैच खेले। स्कैंडिनेविया से लौटने के बाद टीम ने कोलकाता में अभ्यास जारी रखा और फिर थाईलैंड के लिए रवाना हुई।

पीएसएल में बॉल टेम्परिंग विवाद

फखर जमान ने आरोपों से किया इनकार, 48 घंटे में आएगा फैसला

जगत क्रान्ति ⏭ लाहौर, (हि.स.)

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान कथित बॉल टेम्परिंग मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लाहौर के स्टार बल्लेबाज फखर जमान पर कराची की पारी के अंतिम ओवर से पहले गेंद की स्थिति बदलने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फखर जमान अपने साथियों हैरिस रऊफ और कप्तान शाहिद अफरीदी के साथ चर्चा करते नजर आए। इसी दौरान ऑन-फील्ड अंपायर फैसल अफरीदी को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने हस्तक्षेप किया। अंपायर ने गेंद की जांच के बाद पाया कि उसकी स्थिति से छेड़छाड़ की गई है। इसके चलते कराची किंग्स को पांच रन का पेनल्टी दिया गया और अंतिम ओवर के लिए नई गेंद उपलब्ध कराई गई। इस फैसले ने मैच का रुख बदल दिया। मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बयान जारी कर बताया कि फखर जमान पर लेवल-3 का आरोप लगाया गया है। यह आरोप खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 के तहत है, जिसमें गेंद की स्थिति बदलना अपराध माना जाता है। मैच रेफरी रोशन महानामा की अगुवाई में हुई सुनवाई में फखर जमान ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बोर्ड के अनुसार, अगले 48 घंटे में एक और सुनवाई होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। मैच में अंपायरों द्वारा पांच रन की पेनल्टी दिए जाने के बाद कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 9 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी ने रऊफ की गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। अगर मैच रेफरी आरोपों की पुष्टि करते हैं, तो फखर जमान और लाहौर कलंदर्स टीम को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें निलंबन या भारी जुर्माना शामिल हो सकता है।

नाम परिवर्तन

मैं सुनीता देवी पत्नी श्री नसीब सिंह निवासी गांव बराह खुर्द पीओ खरक रामजी तह. व जिला जीन्द अपने हल्फ से बयान करती हूं कि मैंने अपना नाम सुनीता से बदलकर सुनीता देवी रख लिया है। भविष्य में मुझे सुनीता देवी के नाम से जाना व पुकारा जाए।

नाम परिवर्तन

मैं, निशांत निशांत पुत्र श्री धर्मवीर निवासी गांव दिनेश तहसील व जिला भिवानी अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मैंने अपना नाम निशांत से बदलकर निशांत निशांत रख लिया है। भविष्य में मुझे निशांत निशांत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

बेदखली सूचना

मैं कर्म सिंह पुत्र बीर सिंह निवासी वार्ड नं. 1 फुरलक रोड गोहाना जिला सोनीपत अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मेरा पुत्र विक्रम व उसकी पत्नी दोनों मेरे कहने-सुनने से बाहर हैं। मैं उपरोक्त दोनों को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। आज के बाद जो भी इनसे लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरी व मेरे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

हम रोशनी पत्नी ओम सिंह निवासी वार्ड नं. 13, सीतू वाला कुआं, खरखौदा व ओम सिंह पुत्र बलबीर निवासी खांडा तह. खरखौदा जिला सोनीपत अपने हल्फ से बयान करते हैं कि हमारी पुत्री सुमन हमारे कहने-सुनने से बाहर है। हम उसे अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं। आज के बाद जो भी कोई उससे लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। हमारी व हमारे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

हम ज्ञान सिंह त्यागी पुत्र अतर सिंह व अंजली पत्नी श्री ज्ञान चंद उर्फ ज्ञान सिंह निवासी 159, जीटी रोड़, टेहा (107), सोनीपत अपने हल्फ से बयान करते हैं कि हमारा पुत्र नीतिश त्यागी हमारे कहने-सुनने से बाहर है। हम उसे अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं। आज के बाद जो भी कोई उससे लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। हमारी व हमारे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

मैं सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण निवासी 6 वीं, नजदीक चौपाल, अहमदपुर, बहालगढ़ जिला सोनीपत अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मेरी पुत्री रानी मेरे कहने-सुनने से बाहर है। मैं उसे अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। आज के बाद जो भी कोई उससे लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरी व मेरे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

मैं श्रीभगवान पुत्र मुलचन्द निवासी गांव शाहपुर तुर्क, तह. व जिला सोनीपत अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मेरा पुत्र प्रदीप मेरे कहने-सुनने से बाहर है। मैं उसे अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। आज के बाद जो भी कोई उससे लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरी व मेरे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

सार्वजनिक सूचना

मैं सीमा पुत्री रामकुमार सिंह गांव निवासी गांव पुरखास राठी तहसील गन्नौर जिला सोनीपत की स्थाई निवासी हूं और अपने हल्फ से बयान करती हूं कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में गलती से मेरे पिता का नाम राम कंवार व माता का नाम उर्मिला दर्ज है और मेरी जन्म तिथि भी गलती से 29-11-1989 दर्ज है जबकि मेरी सही जन्म तिथि 19-12-1989 और पिता का नाम राम कुमार सिंह राठी तथा माता का उर्मिला देवी है जोकि सही है। अब मैं अपने शैक्षिक दस्तावेजों में अपने माता-पिता का नाम व जन्म तिथि ठीक करवाना चाहती हूं।

सार्वजनिक सूचना

मैं, सावंरी देवी माता नं. 15616481 एल हवलदार नरेन्द्र कुमार वासी गांव सातौर जिला चरखी दादरी, हरियाणा घोषणा करती हूं कि मेरे लड़के के आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सावित्री देवी तथा जन्म तिथि 01.07.1960 दर्ज है जोकि गलत है मेरा सही नाम सावंरी देवी व जन्म तिथि 01.01.1965 है जिसकी घोषणा मैंने एफिडेविट नं. 55ए 724695 दिनांक 30.03.2026 के द्वारा की है।

बेदखली सूचना

मैं, बाला पत्नी वेद प्रकाश उर्फ वेदपाल सिंह निवासी गांव ढाणी हुसनगढ़ तहसील व जिला भिवानी अपने हल्फ से बयान करती हूं कि मेरा पुत्र मनोज मेरे कहने-सुनने से बाहर है। तथा अपनी मनमानी करता है। इसलिए मैं उसे अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूं। भविष्य में इसके किसी भी प्रकार के लेन-देन व व्यवहार की मेरी व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

Public Notice

I No. 13967184M Ex NAIK (TS) G. Sudesh S/o Gokul Chand resident of H No. 1109/30, Sun Villa, Ambedkar Colony, Kanheli Road, Gali No. 2, Rohtak (Haryana) declare that I have changed/amend my name in my Army Records from G. SUDESH (existing name) to SUDESH KUMAR (Correct Name) as per my civil documents (Aadhaar Card & Pan Card) In future I shall may be known / written/ called as SUDESH KUMAR for all work purposes Vide Affidavit dated 30.03.2026 before Notary Public Rohtak.

बेदखली सूचना

मैं, सत्यवान पुत्र श्री बारू राम शर्मा निवासी भैयापुर (66) लाढ़ौत रोहतक अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मेरा पुत्र विजय शर्मा व उसकी पत्नी अनिशा शर्मा मेरे के कहे सुने से बाहर है, इसलिए मैं इन्हें अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। मेरा व मेरे परिवार का इनसे कोई वास्ता नहीं है। भविष्य में ये दोनों अपना लेन देन व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। मेरी व मेरे बाकी परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

मैं रामचन्द्र पुत्र दीवान राम निवासी म.नं. 1191, जनता कालोनी, एलजी शॉरूम सोनीपत जिला सोनीपत अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मेरा पुत्र बिनोद, उसकी पत्नी सुषमा व पौत्र सागर व पोत्र मेरे कहने-सुनने से बाहर है। मैं उपरोक्त चारों को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। आज के बाद जो भी कोई उपरोक्त चारों से लेन-देन या व्यवहार रखेगा, वह स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरी व मेरे बाकि परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

हम, राजेन्द्र पुत्र श्री मामन व राजबाला पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी गांव सुन्दरपुर, जिला रोहतक हरियाणा बयान करते हैं कि हमारा पुत्र विकास व उसकी पत्नी पूजा व हमारा दूसरा पुत्र मोहित उर्फ चिट्टू हमारे कहे सुने से बाहर है। इसलिए हम इन्हें अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं। आज के बाद जो भी इनसे अपने किसी भी प्रकार का लेन-देन व व्यवहार रखेगा वो स्वयं इसका जिम्मेवार होगा। भविष्य में इनके किसी भी कानूनी व गैर कानूनी कार्य की हमारी व हमारे बाकी परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

बेदखली सूचना

मैं, मूर्ति पत्नी स्व0 श्री राजरूप निवासी गांव व डा0 चमारिया रोहतक अपने हल्फ से बयान करती हूं कि मेरा पुत्र सुनील मेरे के कहे सुने से बाहर है, इसलिए मैं इसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करती हूं। मेरा व मेरे परिवार का इससे कोई वास्ता नहीं है। भविष्य में सुनील अपने लेन देन व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। मेरी व मेरे बाकी परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

आवास बोर्ड हरियाणा बहादुरगढ़

सार्वजनिक सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि श्री अनुज पुत्र श्री शिव पाल सिंह निवासी म.नं. 217 FF, सैक्टर-16, बहादुरगढ़ ने अपने फ्लैट नं0 217 FF, आवास बोर्ड कालोनी, सैक्टर-15, बहादुरगढ़ इज्जर को श्री ताराचंद पुत्र श्री गणेशी राम निवासी म.न. 633/31, दिल्ली-रोहतक रोड़, बहादुरगढ़ इज्जर के नाम हस्तांतरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस हस्तांतरण सम्बन्धी किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर सबूत सहित इस कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि इस अवधि में इस कार्यालय में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उपरोक्त फ्लैट की हस्तांतरण की स्वीकृति, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर श्री ताराचंद पुत्र श्री गणेशी राम निवासी म. न. 633/31, दिल्ली रोहतक रोड़, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा - 124507 के नाम प्रदान कर दी जाएगी और इसके बाद इस ट्रांसफर के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

सम्पदा प्रबंधक, आवास बोर्ड हरियाणा, बहादुरगढ़।

नगर निगम रोहतक

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रोहतक की कर शाखा के सम्पत्तिकर के रिकॉर्ड में नई प्रोपर्टी आई0डी0 न. 1HJU3838 पुरानी प्रोपर्टी आई0डी0 न. 122C1066U342 वार्ड न./पता Gandhi Nagar (Ward 1, 2, 3) पुराने एन0डी0सी0 रिकॉर्ड में Darshna W/o Hukam Chand [illegible]

आवास बोर्ड हरियाणा बहादुरगढ़

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

अदालती सूचना

न्यायालय तहसीलदार-कम-सब रजिस्ट्रार जीन्द। शुभम पुत्र स्व श्री राजे उर्फ हर्षवर्धन निवासी गांव इगराह तह व जिला जीन्द।

बनाम

जनरल पब्लिक

इस इश्तहार के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता स्व श्री राजे उर्फ हर्षवर्धन पुत्र श्री नफे सिंह का देहांत दिनांक 22/03/2019 को हो चुका है तथा दादा नफे सिंह व दादी शांति देवी का देहांत काफी समय पहले हो चुका है। जो कि मुझ प्रार्थी की पिता के देहांत के पश्चात निम्न वारिस है। जो कि इस प्रकार से है:- 1. रानी विधवा 2. शुभम पुत्र 3. रेखा पुत्री स्व श्री राजे उर्फ हर्षवर्धन पुत्र श्री नफे सिंह है। इनके अलावा मृतक का अन्य कोई वारिस उत्तराधिकारी नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए हर आम व खास को इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृतक के बाबत गये वारिस/उत्तराधिकारी के बाबत कोई शक एवं एतराज हो तो वह स्वयं अधिवक्ता के माध्यम से इस नोटिस के प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनो के अन्दर अन्दर इस कार्यालय में कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ती पेश कर सकता है। यह नोटिस बाबत हस्ताक्षर आज दिनांक 19-3-26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया है।

तहसीलदार-कम-सब रजिस्ट्रार जीन्द।

सार्वजनिक सूचना

मै, नम्बर 2672337एच एक्स हवलदार धर्मचन्द वासी गांव ऊण जिला चरखी दादरी, हरियाणा घोषणा करता हूँ कि मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरे लड़के का नाम जितेन्द्रा सिंह दर्ज है जोकि गलत है उसका सही नाम जितेन्द्र कुमार है जिसकी घोषणा मैंने एफिडेविट नम्बर 55एए 724694 दिनांक 30.03.2026 के द्वारा की है।

Court Notice

(U/o 5 Rule 20 CPC)
(SUCCESSION CASE)
IN THE COURT OF Sh. Munish Nagar, Civil Judge (Senior Division), Sirsa.
NUPUR ALIAS NAPUR
Vs.
GENERAL PUBLIC
CNR No. HRSI02-000276-2026
Next Date:- 17-04-2026

Petition under section 8 of Hindu minority and Guardianship Act for grant of permission to the petitioner to sell residential house cum shop bearing SCF No. 2 Old House Tax No. 16/162 and New Tax No. SRS/B-16/0227 measuring 134.16 Sq. Yards situated at Guru Teg Bahadur Market Dabwali Road, Sirsa, which is owned and jointly possessed by the Petitioner and the minors Vivaan Jain (son) and Konark Jain (daughter) residents of SCF 2 Dabwali Road, Guru Teg Bahadur Market Sirsa on the basis of evidence of every description oral as well as documentary.

NOTICE TO : GENERAL PUBLIC Haryana (INDIA)

In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on **17-04-2026 at 10 a.m.**

For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?mod=district notice&district=Sirsa.

Civil Judge (Senior Division), Sirsa.

बेदखली वापसी सूचना

मैं रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सूबे सिंह निवासी गांव खरावड़ तह. सांपला जिला रोहतक अपने हल्फ से बयान करता हूं कि मैंने अपने पुत्र दीपक व उसकी पत्नी सविता को कहने-सुनने से बाहर होने के कारण बेदखल कर दिया था, लेकिन अब ये दोनों मेरे कहे में हैं तथा सब कहा मानते हैं, इसलिए मैं इन्हें बेदखली वापिस लेता हूं तथा दीपक व सविता को उनके तमाम अधिकार वापिस देता हूं।

आवास विंग, एचएसवीपी

सार्वजनिक नोटिस

(कानूनी वारिसों की सहमति से)

सभी व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि वह Dharambir Singh S/o Sh. Ram Kumar R/o Kaman Patti, Jakholi, Distt. Kaithal, Haryana ने अपने Flat / House No. K-665/GF, BPL, Housing Board Colony, Sec- 26 & 28, Rohtak को Sh. Vidur Dhankar S/o Sh. Surat Singh R/o V.P.O.- Karountha, Distt. -Rohtak Haryana के नाम हस्तांतरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है यदि किसी भी व्यक्ति को इस हस्तांतरण सम्बंधी किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर सबूत सहित इस कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। यदि इस अवधि के दौरान इस कार्यालय में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उपरोक्त फ्लैट के हस्तांतरण की स्वीकृति, प्रस्तुत दस्तावेज़ के आधार पर Sh. Vidur Dhankhar S/o Sh. Surat Singh R/o V.P.O.- Karountha, Distt.- Rohtak. के नाम प्रदान कर दी जाएगी और इसके बाद इस ट्रान्सफर के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

एस्टेट मैनेजर, हाउसिंग विंग, एचएसवीपी रोहतक
(पूर्ववर्ती हरियाणा आवास बोर्ड)

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

क्र0 सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने की तिथि समय	अनुमानित लागत रूपये	धरोहर राशि रूपये	कार्य पूरा करने की अवधि
1	OT-44/ 2025-26	1. प्रोविजन ऑफ सी० सी० टी० वी सर्विलांस सिस्टम एट आर पी एफ पोस्ट्स/आउट पोस्ट्स हैविंग कवरेज ओवर स्पेस प्रवाइडिड फॉर कीपिंग एक्यूज्ड एण्ड इंटेरोगेशन परपोज. 2. एक्सपेंशन ऑफ सी० सी० टी वी सर्विलांस नेटवर्क इन रेलवे हॉस्पिटल अंबाला कैंट।	27/04/2026 at 15.00 hrs.	Rs. 9507636.25/-	Rs. 190200/-	180 दिन
2	OT-45/ 2025-26	1. प्रोविजन ऑफ ई०सी० सॉकेट ऑन 6 क्वाड केबल इन सरहिन्द-ऊना हिमाचल, अंबाला डिवीजन। 2. टेलीकॉम वर्क इन कनेक्शन विद कन्स्ट्रक्शन ऑफ 6 मी x 6 मी साइज लिमिटेड हाइट सबवे इन लिउ ऑफ लेवल क्रॉसिंग 5, बिटवीन खरर एण्ड जंक्शन कैबिन स्टेशन ऑफ सी०डी०जी०-एम०आर०एन०डी० सेक्शन टू इलिमनेट लेवल क्रॉसिंग इन द सेक्शन ऑफ एस०एस०ई०/डब्ल्यू/सी०डी०जी० अंडर सीनियर ए०डी० ई०एन०/सी०डी०जी०. 3. टेलिकॉम वर्क इन कनेक्शन विद कन्स्ट्रक्शन ऑफ 6 मी x 5 मी. साइज एल०एच०एस० इन लिउ ऑफ लेवल क्रॉसिंग 6 बिटवीन खरर एण्ड जंक्शन कैबिन स्टेशन ऑफ सी०डी०जी०-एम०आर०एन०डी० सेक्शन ऑफ एस०एस० ई०/डब्ल्यू/सी०डी०जी० अंडर सीनियर ए०डी०ई०एन०/सी०डी० जी० 4. टेलिकॉम वर्क इन कनेक्शन विद कन्स्ट्रक्शन ऑफ 6 मी x 5 मी. साइज एल०एच०एस० इन लिउ ऑफ लेवल क्रॉसिंग 7. बिटवीन खरर एण्ड जंक्शन कैबिन स्टेशन ऑफ सी०डी०जी०-एम०आर०एन०डी० सेक्शन ऑफ एस० एस०ई० /डब्ल्यू/सी०डी०जी० अंडर सीनियर ए०डी०ई०एन/सी०डी० जी० 5. टेलीकॉम एस्टिमेट इन कनेक्शन विद इम्प्रूमेंट/अपग्रेडेशन एट डी०टी०टी० एस०/के० एल० के० एट के०एल० के०. 6. टेलीकॉम एस्टिमेट इन कनेक्शन विद इम्प्रूमेंट/अपग्रेडेशन ऑफ सेफ्टी कैम्प डी०एम०पी.	27/04/2026 at 15.00 hrs.	Rs. 6350180.94/-	Rs. 127000/-	180 दिन
3	OT-46/ 2025-26	प्रोविजन ऑफ क्लॉक्स एट एन.एस.जी. 3, एन.एस.जी. 4, एन.एस. जी.-5 & एन.एस.जी. 6 कैटेगरी स्टेशन्स ओवर अंबाला डिवीजन.	27/04/2026 at 15.00 hrs.	Rs. 8591446.13/-	Rs. 171800	270 दिन

नोट- वरि० मंडल सिग० एवं टेली० इंजी०/उ०रे०, डी०आर०एम० ऑफिस, रेल विहार, अम्बाला छावनी के द्वारा इच्छुक निविदाकारो से उपरोक्त संदर्भित कार्यों हेतु खुली निविदा दर्शायी गयी तिथि अनुसार 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाकारो के द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन प्रतिलिपि अपलोड करें। 1 टैन्डर डाकूमेंटस व निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे वेबसाईट www.ireps.gov.in पर लाग ऑन करें। 2 निविदाकारो को ई-टेण्डरिंग में भाग लेने के लिए उनके पास क्लास-III डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा उन्हें उपरोक्त साइट पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। निविदाकारो से निवेदन है कि टैन्डर नोटिस और टेन्डर डाकूमेन्टस में दी गई हिदायतों/शर्तों इत्यादि को टैन्डर डालने से पहले भली भांति पढ़ ले। **संख्या:- एस.डब्लू/सिग/अंबाला/एनआईटी-18/2025-26 दिनांक:- 30.03.2026** **1072/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Saraswati College of Education

Village- Mandoli, Charkhi Dadri- 127306 (Hry)

Public Notice

Notification for Election of Governing Body

The Election for the post of Office Bearers i.e. President, Vice President, General Secretary, Treasurer, Two Teaching Representative & One Non-Teaching Representative and Eleven Members for the Governing Body will be held in College Campus as per the following schedule:

Date of Nomination	Date of Scrutiny	Date of Withdrawal of Nomination	Date of Election	Date of Election Result
11-04-2026 (10AM to 3PM)	16/04/2026 (10AM to 3PM)	21/04/2026 (10AM to 3PM)	19/05/2026 (10AM to 3PM)	19/05/2026 (10AM to 3PM)

For any enquiry please contact: Sh. Parmender Chitoria, Returning Officer & Principal, Arya Sr. Sec. School, Jhojhu Kalan.

Mobile No. 9466907686 Mail: saraswaticollegemandoli@gmail.com

Guru Gobind Nath College of Education

Jamalpur, Bhiwani- 127035

Public Notice

Notification for Election of Governing Body

The Election for the post of Office Bearers i.e. President, Vice President, General Secretary, Treasurer, Two Teaching Representative & One Non-Teaching Representative and Eleven Members for the Governing Body will be held in College Campus as per the following schedule:

Date of Nomination	Date of Scrutiny	Date of Withdrawal of Nomination	Date of Election	Date of Election Result
16-04-2026 (10AM to 3PM)	21/04/2026 (10AM to 3PM)	26/04/2026 (10AM to 3PM)	15/05/2026 (10AM to 3PM)	15/05/2026 (10AM to 3PM)

For any enquiry please contact: Sh. Jeenat Mehta PGT. Returning Officer PGT Green Vally International School Jamalpur

Mobile No. 9991591382 Mail: ggnedukurukshetra@gmail.com

उत्तर रेलवे

'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना के तहत स्टॉल स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं:

क) कुल बारह (12) स्टॉल: दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली शाहदरा, फरीदाबाद, गन्नौर, गाजियाबाद, करनाल, मेरठ सिटी, पलवल, पटौदी रोड, रोहतक, गुड़गांव रेलवे स्टेशन।

ख) कुल अड़तीस (38) ट्रॉली: बल्लभगढ़, बागपत रोड, बड़ौत, दिल्ली किशनगंज, दिल्ली सराय रोहिल्ला, फरीदाबाद नया शहर, गढ़ी हरसरू, जाखल, जींद, खेकड़ा, मानसा, मेरठ शहर, नांगलोई, नरवाना, नोली, ओखला, पालम, शकूरबस्ती, शामली, टपरी, टोहाना, तुगलकाबाद, विवेक विहार, असावटी, दिल्ली आजादपुर, दिल्ली सफदरगंज, देवबंद, खतौली, मंगोलपुरी, मोदीनगर, मेरठ कैंट, मुरादनगर, नया गाजियाबाद, परतापुर, सकौती टांडा, सांपला, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन।

ग) दिल्ली जंक्शन, कुरुक्षेत्र, सब्जी मंडी, पलवल, गुड़गांव, मेरठ कैंट, पानीपत, नरेला, बादली रोहतक, जुलाना, सांपला रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल/ट्रॉली लगाने की अवधि 90 दिन होगी।

घ) एनएसजी 1, 2, 3 स्टेशनों के लिए पंजीकरण शुल्क रु. की दर से लिया जाएगा। तीस दिनों के प्रत्येक चरण के लिए 2000 और एनएसजी 4,5,6 (दिल्ली किशनगंज, देवबंद, बादली, ओखला, शामली, टपरी, जिंद, जाखल, टोहाना, मानसा, नरवाना, बागपत रोड, खेकड़ा, नांगलोई, मुरादनगर, खतौली, मेरठ कैंट, जुलाना, सांपला, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, गनौर, बादली, सब्जी मंडी, नरेला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद न्यू टाउन, बल्लभगढ़, पालम, मेरठ कैंट, दिल्ली सफदरजंग, परतापुर और सकौती टांडा रेलवे स्टेशन पर पंजीकरण शुल्क रु. तीस दिनों के प्रत्येक मंत्र के लिए 1000 की दर से लिया जाएगा।

ङ) प्रतिभागी के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं: विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त हथकरघा, या अपेक्षित राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी कारीगरों/बुनकर आईडी कार्ड धारक। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)/खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)/ गैर सरकारी संगठन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल पर सूक्ष्म उद्यमों के साथ पंजीकृत और सामाजिक संगठनों, राज्य सरकार के साथ निकायों आदि के साथ नामांकित/पंजीकृत व्यक्तिगत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार।

C. पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूह।

D. समाज के हाशिए पर या कमजोर वर्ग।

E. किसी भी अलग प्रतीक चिन्ह की अनुमति प्रदान नही की जाएगी।

आवेदक को स्टेशन अधीक्षक को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह संकेत दिया जाएगा कि ट्रेन संचालन, यात्री सुरक्षा और रेलवे की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

आवेदक द्वारा का आवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के बाद 07.04.2026, 15:00 बजे तक स्टेशन अधीक्षक को संबोधित व जमा किया जा सकता है व उसी दिन खोला जाएगा।

सभी अनुमोदित प्रतिभागियों का प्राथमिकता रोस्टर बनाने के लिए एसएस और स्टेशन प्रबंधक/अनुभागीय सीएमआई और नामांकित वित्त प्रतिनिधि द्वारा सभी अनुमोदित आवेदकों की उपस्थिति में स्टेशन पर आयोजित ड्रा के माध्यम से प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना रेलवे बोर्ड वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 12 / 2022 एवं 09/2023 के तहत / अधीन मान्य होगी, उपरोक्त परिपत्र वेबसाइट www.indianrailways.gov.in & URL:https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Comm_Cir_2022/OSOP%20Policy.pdf और https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/ Comm_Cir_2023/CC%20%2009%20of%202023 पर उपलब्ध है।

इस से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक संबंधित स्टेशनों के स्टेशन अधीक्षक या सीएमआई से संपर्क कर सकता है। **1061/2026**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ